सं0-98/2015/1548/62-2-2015-2/3(21)/2015

प्रेषक,

राम किंकर मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ- दिनांक- 11 सितम्बर,2015

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में अनुदान सं0-13 के अधीन नई योजना ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग चेकडैम एवं हेडर का निर्माण (नाबार्ड पोषित) के अन्तर्गत बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-जी-106/ल0सिं0/बजट-आर0आई0डी0 एफ0/2015-16, दिनांक 09-04-2015 व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-925/दस-2015-321/2015, दिनांक 30-03-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में अनुदान संख्या&13 के अधीन नई योजना ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग चेकडैम एवं हेडर का निर्माण (नाबार्ड पोषित) हेतु बजट में प्राविधानित धनराशि `&2518.54 लाख के सापेक्ष धनराशि `&1000.00 लाख (रूपया दस करोड मात्र) को आपके निस्तारण पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत लघु सिंचाई विभाग की नई योजना ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग चेकडैम एवं हेडर का निर्माण (नाबार्ड पोषित) पर किया जायेगा।

(2) अवमुक्त की गई धनराशि को किसी ऐसे मद पर कदापि व्यय न किया जाये, जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल एवं शासन के स्थाई/अस्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, ऐसा व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाय।

(3) स्वीकृति की जा रही धनराशि का व्यय अन्य किसी मद/योजना में कदापि न किया जाय तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30-3-2015 की शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में शासनादेश सं0-1578/62-2-2015-2/2(18)/2004टीसी-19-1, दिनांक 03-8-2015 द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्गत दिशा-निर्देशों में दिये गये शर्तों/प्रतिबन्धों/प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(5) निर्माण् कार्य के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) स्वीकृत की गयी धनराशि का आहरण/उपभो्ग प्रश्नतग योजना संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने के बाद ही किया जायेगा तथा सी0सी0एल0 प्रणाली के संबंध में वित्त लेखा अनुभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार कार्यवाही की जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(7) किसी भी दशा में अवमुक्त धनराशि से अधिक व्यय न किया जाय तथा समस्त व्यय संबंधित शासनादेशों तथा शासन के अस्थाई/स्थाई नियमों में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही किया जाय।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-13 के अधीन **"लेखा शीर्षक-4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-102-भूजल-11-ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग चेकडैम एवं हेडर का निर्माण(नाबार्ड पोषित)-24-वृहत निर्माण कार्य"** के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन के अ0शा0 संख्या**&**ई-2-871,दिनांक 10-9-2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(राम किंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव।

सं0-98/2015/1548(1)/62-2-2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
3- नियोजन अनुभाग-3, उ0 प्र0 शासन।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0 प्र0 शासन।
6- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
7- एन0आई0सी0 की प्रति।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।